

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector **Nainital**

No---

Dated 23-06-2015

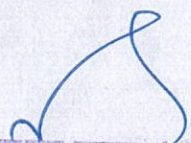
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

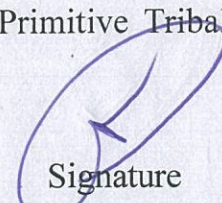
In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.860** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Provincial Division Nainital** (name of user agency) for **Construction of Devidhura to Dhapla Motor Road under S.C.P** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Dhapla** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.860** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to **30.4** annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


जिला सभाज काल्याण अधिकारी
नैनीताल


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Deepak Rawat I.A.S District Magistrate on dated 23-06-2015 at time 11.45 AM at in which application claiming rights in Nainital area measuring 4.860 hect for the construction of Construction of Devidhura to Dhapla Motor Road under S.C.P. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Nainital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 23-06-2015

DISTRICT COLLECTOR
District Level Committee
Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

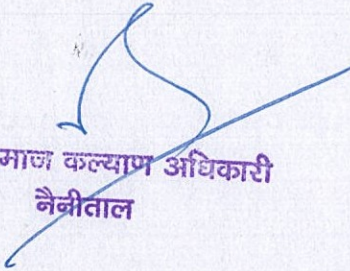
प्रवासी धनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रपत्र - 30.1

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

विधान सभा याचिकाओं के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 4.860 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, नैनीताल तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल


जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना के निर्माण हेतु 4.860 हे० वनभूमि लोका निर्माण विभाग, H.T.L. प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल।

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - धापला
सहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सुसोपाई में देवीपुर स्थित मा.पु.म.प.व.न निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 4.77 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 0.09 हे० वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 4.86 हे० वन भूमि का — ला. निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धापला द्वारा दिनांक 31-10-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धापला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि — हे० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-

ग्राम सचिव

31-10-2014
धापला

प्रधान
ग्राम पंचायत धापला
विकास खण्ड भीमनाथ

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 31-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	जोशी चन्द्रा जोशी	जोशी
(2)	पद्मा देव जोशी	जोशी
(3)	बाबा देव जोशी	बाबा देव जोशी
(4)	मदन मोहन	
(5)	मदन देव	मदन देव जोशी
(6)	देवकी देवी	
7	नवीन जोशी	N.C. Joshi
(8)	देव जोशी	देव
(9)	C.S.	C.S.
(10)	शान्ति देवी	शान्ति देवी
(11)	रामेश्वर	रामेश्वर
(12)	रामेश्वर देव	रामेश्वर देव
(13)	विमल चन्द्र जोशी	विमल चन्द्र जोशी
(14)	मोहन मन्त	मोहन मन्त
(15)	विमल चन्द्र देव	विमल चन्द्र देव
(16)	मदन मोहन देव	मदन मोहन देव
(17)	लक्ष्मी देव	लक्ष्मी देव

शान्ति देवी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

प्रधान
ग्राम पंचायत रापल
विकास खण्ड भीमना
31-10-2014

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधूरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम~~बोहरा गांव~~.....

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

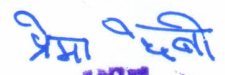
उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देवीधूरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 4.77 हे0, सिविल वन भूमि 0.09 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात् कुल 4.86 हे0 वन भूमि का वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~बोहरा गांव~~ द्वारा दिनांक 26.06.11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~बोहरा गांव~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0ख0, लो0 नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ~~बोहरा गांव~~
बि० ख० - श्रीमवाला (नैनीताल)
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित


ग्राम प्रधान,

ग्राम पंचायत बोहरागांव-बटवाली
जिला नैनीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रारूप - 30.4

दिनांक 26/06/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बोहरागांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
2	श्री मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
3	श्री कैलाश सिंह	कैलाश सिंह
4	1) मनोहर लाल	मनोहर लाल
5	महेन्द्र प्रसाद	महेन्द्र
6	रूपराज सिंह	रमेश लाल
7	दीवान लाल	दीवान लाल
8	हयात सिंह	हयात सिंह
9	दीवान लाल	दीवान लाल
10	दीवान लाल	दीवान लाल
11	दीवान लाल	दीवान लाल
12	दीवान लाल	दीवान लाल
13	दीवान लाल	दीवान लाल
14	दीवान लाल	दीवान लाल
15	दीवान लाल	दीवान लाल
16	दीवान लाल	दीवान लाल
17	दीवान लाल	दीवान लाल
18	दीवान लाल	दीवान लाल
19		
20		
21		
22		

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रेमा देवी

ग्राम पंचायत बोहरागांव-पटवाडीपर
जिला बल्लभ, श्रीमन्त (पंचायत)